पत्र सं०–6 एस०एस०(6)19 / 2024– 1384

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 27 / 03 / 2025.

**अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा :– ****आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल रुपये 633.00 लाख (रुपये छः करोड़ तैतीस लाख) मात्र के अनुमानित व्यय पर कॉम्फेड अंतर्गत डेयरी संयंत्रो में अति उन्नत दुग्ध जाँच उपकरणों की स्थापना, बल्क मिल्क कूलर केन्द्रों पर दूध में मिलावट की जाँच करने हेतु उपकरण लगाने तथा कॉम्फेड मुख्यालय में स्थापित किये जाने वाले केन्द्रीयकृत प्रयोगशाला के शेष कार्यो की पूर्ण करने की योजना की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल रुपये 633.00 लाख (रुपये छः करोड़ तैतीस लाख) मात्र के अनुमानित व्यय पर कॉम्फेड अंतर्गत डेयरी संयंत्रो में अति उन्नत दुग्ध जाँच उपकरणों की स्थापना, बल्क मिल्क कूलर केन्द्रों पर दूध में मिलावट की जाँच करने हेतु उपकरण लगाने तथा कॉम्फेड मुख्यालय में स्थापित किये जाने वाले केन्द्रीयकृत प्रयोगशाला के शेष कार्यो की पूर्ण करने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

2) कॉम्फेड के डेयरी संयंत्रों एव अधिकांश बल्क मिल्क कूलर में दुध में मिलावट आदि की जांच की व्यवस्था है, जिससे समय–समय पर निरंतर उन्नयित करने की आवश्यकता होती है। कॉम्फेड के 15 बड़े संयंत्रों में दूध की जांच की अति उन्नत मशीन (यथा फॉस मिल्कोस्कैन एफ०टी०–3 या समकक्ष मशीन जिसकी लागत प्रति मशीन रुपये 125.00 लाख (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख) मात्र तथा 30 बल्क मिल्क कूलर केन्द्रों पर सामान्य मिलावटों की जांच करने हेतु उपकरण जिसकी लागत प्रति इकाई रुपये 5.50 लाख (रुपये पांच लाख पचास हजार) मात्र की आवश्यकता है, जिसकी मांग कॉम्फेड द्वारा किया गया है। जिससे बिहार के आम जनता को उच्च गुणवत्ता का दूध एवं दूध निर्मित उत्पाद की उपलब्धता होती रहेगी। उन्नत उपकरणों के स्थापना हेतु 60 प्रतिशत राशि

केन्द्र सरकार की योजना शर्त्तों के अनुसार तथा 40 प्रतिशत राज्य सरकार से सहयोग हेतु अनुरोध किया गया है, पर केन्द्रीकृत प्रयोगशाला के लिए शेष कार्यों की पूर्णतः हेतु राज्य सरकार से 100 प्रतिशत की मांग कॉम्फेड के द्वारा की गयी है।

3) योजना का मुख्य उद्देश्य डेयरी संयंत्रों एवं अधिकांश बल्क मिल्क कूलर केन्द्रों में दूध में मिलावट आदि की जाँच की उन्नत व्यवस्था कर उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता का दूध एवं उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। केन्द्रीकृत प्रयोगशाला के प्रारंभ हो जाने पर विभिन्न संघों के द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये जाने वाले दूध एवं उत्पादों की नियमित जांच कॉम्फेड स्तर पर किया जायेगा, जिससे गुणवत्ता पर और अधिक नियंत्रण रखा जा सकता है।

4) डेयरी संयंत्रो में अति उन्नत दुग्ध जाँच उपकरणों की स्थापना, बल्क मिल्क कूलर केन्द्रो पर दूध में मिलावट की जाँच करने हेतु उपकरण लगाने तथा कॉम्फेड मुख्यालय में स्थापित किये जाने वाले केन्द्रीयकृत प्रयोगशाला के शेष कार्यो की पूर्ण करने की योजना है।

5) इस योजना के तहत योजना का क्रियान्वयन कॉम्फेड, पटना द्वारा किया जायेगा।

6) इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी निदेशक, गव्य अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक, गव्य इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

7) इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि निदेशक, गव्य द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से निकासी कर कॉम्फेड, पटना के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित किया जायेगा एवं स्वीकृत राशि पी०एल० खाता के माध्यम से कॉम्फेड, पटना द्वारा व्यय किया जायेगा।

8) सामान्य योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2404 –डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102 –डेरी विकास परियोजनाएँ, उप शीर्ष–0115 –गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएँ, विषय शीर्ष–0115.31.05 –सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड 02–2404001020115 के तहत योजना उद्व्यय एवं तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त बजट उपबंधित राशि रुपये 633.00 लाख मात्र व्यय किया जायेगा।

9) निदेशक, गव्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

10) चुँकि यह योजना एक चालू योजना है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)19/2024 के पृष्ठ–33/टि०, दिनांक–21.03.2025.

11) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)19/2024 के पृष्ठ–34/टि० तथा डायरी सं०–122, दिनांक–22.03.2025.

12) वित्त विभागीय पत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

(गीता सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)19/2024– 1382/पटना–15, दिनांक–22/03/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)19/2024– 1382/पटना–15, दिनांक–22/03/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)19/2024– 1382/पटना–15, दिनांक–22/03/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, पटना/निदेशक, गव्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)19/2024– 1382/पटना–15, दिनांक–22/03/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)19/2024– 1382/पटना–15, दिनांक–..24/.03/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा–06 के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)19/2024– 1382/पटना–15, दिनांक–..24/.03./2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/महालेखाकार, लेखा परीक्षा, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)19/2024– 1382/पटना–15, दिनांक–..24/.03/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

व्यय विवरणी

राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल रुपये 633.00 लाख (रुपये छः करोड़ तैतीस लाख) मात्र के अनुमानित व्यय पर कॉम्फेड अंतर्गत डेयरी संयंत्रो में अति उन्नत दुग्ध जाँच उपकरणों की स्थापना, बल्क मिल्क कूलर केन्द्रो पर दूध में मिलावट की जाँच करने हेतु उपकरण लगाने तथा कॉम्फेड मुख्यालय में स्थापित किये जाने वाले केन्द्रीयकृत प्रयोगशाला के शेष कार्यो की पूर्ण करने की योजना।

(राशि रुपये लाख में)

क्र०	विपत्र कोड / विषय शीर्ष	योजना की विवरणी	भौतिक लक्ष्य	योजना का कुल लागत राशि	स्वीकृत राशि (40%)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कोषागार
1	विपत्र कोड 02–2404001020115, विषय शीर्ष 31–05 –सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण।	डेयरी संयंत्रो में अति उन्नत दुग्ध जाँच उपकरणों की स्थापना। (40% राज्य सरकार का अनुदान)	08	1000.00	400.00	निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना / प्राधिकृत पदाधिकारी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
		बल्क मिल्क कूलर केन्द्रो पर दूध में मिलावट की जाँच करने हेतु उपकरण। (40% राज्य सरकार का अनुदान)	15	82.50	33.00		
		कॉम्फेड मुख्यालय में स्थापित किये जाने वाले केन्द्रीयकृत प्रयोगखाला के शेष कार्यो की पूर्ण करने की योजना। (100% राज्य सरकार का अनुदान)	01	200.00	200.00		
				कुल :–	**633.00**		

कुल रुपये (छः करोड़ तैतीस लाख) मात्र।

1382
22/03/25

सरकार के अवर सचिव